

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/2942

दिनांक 8.9.11

विषय :- दवाइयों के वितरण हेतु वाहनों की व्यवस्था के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कई जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में वाहन के अभाव में चिकित्सा संस्थानों पर दवाओं का वितरण संभव नहीं हो पा रहा है। अतः पूर्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी आदेश संख्या ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/2653 दिनांक 25.08.2011 के अनुसार पी.ओ.एल. हेतु आवंटित रु. 2.00 लाख का उपयोग पी.ओ.एल. के अतिरिक्त दवाइयों के वितरण हेतु उचित दर पर वाहनों को किराये पर लिया जाने में किया जा सकेगा ताकि समय रहते चिकित्सा संस्थानों पर दवाओं का वितरण संभव हो सके।

इस संबंध में उचित कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

निदेशक जनस्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/2942

दिनांक 8.9.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महामलेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (प०क०), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
5. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन वितरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक जनस्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर